

भाग ४ (ग)

अख्य नियम

संस्कृति विभाग

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 1987

क. एक. 19-1-81-सं-30.—संस्कृति के क्षेत्र में प्रशासकीय प्रयास के लिये सहायता प्रदान करने की दृष्टि से सहायता अनुदान के रूप में व्यय किये जाने के लिये प्रतिवर्ष राज्य निधि से कुछ रकम अलग निर्धारित कर दी जाती है, जिसका उपयोग प्रशासकीय प्रबंधाधीन सांस्कृतिक संस्थाओं को सहायता अनुदान के रूप में किया जाता है. राज्य शासन, सहायता अनुदान के विनियमन के लिये निम्नलिखित नियम बनाता है :—

भाग एक—प्रस्तावना

1. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार.—(1) ये नियम मध्यप्रदेश प्रशासकीय सांस्कृतिक संस्था सहायता अनुदान नियम कहलायेंगे और उनके प्रसारित होने की तारीख से प्रभावी होंगे और सभी सहायता प्राप्त संस्थाओं का वर्ष 1987-88 के लिये अनुदान इन नियमों के अधीन निर्धारित किया जायेगा. उन संस्थाओं के लिये दूसरा अनुदान निर्धारण वर्ष 1988-89 में किया जायेगा और उसके बाद ऐसा निर्धारण प्रति दो वर्ष पर किया जायेगा.

(2) प्रशासकीय सांस्कृतिक संस्थाओं इन नियमों के अन्तर्गत निम्नानुसार श्रेणीबद्ध की जाती हैं.—

(एक) ऐसी प्रशासकीय संस्थाएँ जो प्रादेशिक स्तर के संगठन हैं और जो संस्कृति के क्षेत्र विशेष में तीन से अधिक वर्षों से सक्रिय हैं.

(दो) ऐसी प्रशासकीय संस्थाएँ जो किसी कला विशेष में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और नियमित प्रदर्शन की व्यवस्था करती हैं.

(तीन) ऐसी प्रशासकीय संस्थाएँ जो समय-समय पर लेकिन विशिष्ट स्तर के संगीत समारोह, नाट्य समारोह, कला प्रदर्शनियाँ, साहित्य समारोह आदि आयोजित करती हैं और किसी समारोह या आयोजन-विशेष के लिये सहायता चाहती हैं.

(3) इन नियमों में उल्लिखित प्राधिकारों से तात्पर्य संचालक संस्कृति विभाग/सचिव, संस्कृति विभाग होगा.

भाग दो—सामान्य

2. सामान्य शर्तें.—प्रविश्यकताओं तथा उपलब्ध निधियों पर विचार करते हुए अनुदान उन प्रशासकीय संस्थाओं को दिया जायेगा, जो ठोस तथा धर्म निरपेक्ष साहित्यिक, रूपक और प्रदर्शनकारी कलाओं की शिक्षा, प्रशिक्षण, अन्वेषण प्रदान करती हों अथवा/और प्रदर्शन आयोजन करती हों. ये अनुदान उन नियमों, उनमें विनिर्दिष्ट शर्तों और साथ ही प्रायः को-शर्तों के जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जायें. अधीन होंगे.

3. मान्यता.—किसी भी संस्था द्वारा अधिकार के रूप में सहायता अनुदान का दावा नहीं किया जा सकेगा.

सहायता अनुदान केवल ऐसी संस्था को दिया जाएगा—

(क) जो आवेदन करने की तारीख के पूर्व कम से कम तीन वर्षों तक निरन्तर अस्तित्व में रही हो;

(ख) जो मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुकी हों.

4. अनुदान चार प्रकार के होंगे, अर्थात् :—

(एक) अनुरक्षण अनुदान,

(दो) भवन अनुदान

(तीन) उपकरण अनुदान

(चार) शिविर अथवा आयोजन अनुदान

5. किसी भी सहायता प्राप्त संस्था को चलाने वाली सोसायटी जब तक उसे राज्य शासन के विशेष या सामान्य आदेश द्वारा छूट न दी गई हो, मध्यप्रदेश सोसायटी, रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44, सन् 1973) के अधीन पंजीकृत की जाएगी.

6. निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा.—शासन द्वारा सहायता-प्राप्त प्रत्येक संस्था का निरीक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार, संस्कृति विभाग के निरीक्षण अमले द्वारा सहायता अनुदान प्रदाय करने के उद्देश्य से तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि पूर्व में दी गई सहायता-अनुदान राशि का उचित उपयोग हुआ है, किया जायेगा.

संस्थाओं के लेखे संस्कृति विभाग द्वारा प्राधिकृत किसी भी एजेंसी एवं महालेखाकार, मध्यप्रदेश को उनके विवेक पर जांच करने के लिये उपलब्ध रहेंगे.

7. प्रतिवर्ष रुपये 10,000 (प्रावर्ती) वार्षिक तथा रुपये 50,000 (अनावर्ती) से अधिक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लेखे भी संचालक, स्थानीय निधि लेखा, मध्यप्रदेश द्वारा अपने विवेकानुसार किये जाने वाले अंकेक्षण के लिये उपलब्ध रहेंगे.

8. किसी जातिगत या साम्प्रदायिक शिक्षण पर व्यय के लिए किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा.

9. ऐसी किसी भी संस्था को कोई अनुदान मन्जूर नहीं किया जायेगा, जिसको प्राय सभी स्त्रोतों से इतनी हो, जो विभाग के मतानुसार शासकीय सहायता प्राप्त किए बिना उसका दक्षतापूर्वक संचालन कर सकने के लिये पर्याप्त हो.

10. नई संस्थाओं के मामले में अनुदान ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अधीन निर्मुक्त किया जायेगा, जिन्हें शासन विहित करे.

11. सहायता प्राप्त संस्था चलाने वाली प्रत्येक पंजीकृत सोसायटी का प्रबंधक वर्ग एक प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करेगा, जो उक्त सोसायटी और उसके प्रबंधक वर्ग की ओर से पत्र-व्यवहार करेगा और संस्था की ओर से चेकों आदि पर हस्ताक्षर भी करेगा. प्रबंधक वर्ग द्वारा उसका नाम तथा पता यथास्थिति, संस्कृति विभाग के संबंधित प्राधिकारियों को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा.

12. सहायता प्राप्त संस्थाओं से सम्बद्ध अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सच्चरित्र तथा सदाचारी रहना होगा.

13. (क) प्रत्येक सहायता प्राप्त संस्था का प्रबंधक वर्ग अपने कर्मचारियों (प्रशिक्षकों को मिलाकर) के सेवा निबंधनों में एक निबंधन यह रहेगा कि वे किसी राजनीतिक दल या किसी ऐसे संगठन के, जो राजनीति में भाग लेता हो, न तो सदस्य होंगे और न उससे अन्यथा रूप से संबद्ध होंगे, और न किसी अन्य रीति से उसमें सहायता करेंगे, न वे किसी विधान-मण्डल या स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन में प्रचार कार्य करेंगे और न अन्यथा रूप से हस्तक्षेप करेंगे और न ही इस संबंध में अपने प्रभाव का उपयोग करेंगे और न निर्वाचन लड़ेंगे और न उसमें भाग ही लेंगे, परन्तु —

(एक) ऐसे निर्वाचन में मत देने के लिए वे कर्मचारी मत देने के अपने अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे, किन्तु वे ऐसा करते समय उस रीति का कोई संकेत नहीं देंगे, जिससे वे मत देना चाहते हैं या उन्होंने मत दिया है.

(दो) कर्मचारियों के संबंध में केवल इस कारण से ही कि उन्होंने तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उन पर अधिरोपित कर्तव्य के पालन में किसी निर्वाचन के संचालन में सहायता पहुंचाई है, यह नहीं समझा जायेगा कि उन्होंने इस नियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है.

(त्र) यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो कि कोई आन्दोलन या गतिरोध इस नियम के क्षेत्र के भीतर आता है या नहीं, तो उस पर दिया गया शासन का विनिश्चय अंतिम होगा.

14. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए प्रारक्षण.—(क) सहायता प्राप्त संस्थाओं के प्रबंधक वर्ग प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कुल पदों के लिए 15 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों तथा 18 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से भरे जाने के लिए सुरक्षित रखेंगे. इसी प्रकार तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कुल पदों के लिए 16 प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों तथा 20 प्रतिशत पद अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों से भरे जाने के लिए सुरक्षित रखेंगे.

(ख) यदि ऊपर उल्लिखित प्रतिशत तक किसी विशेष वर्ष में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवार प्राप्त न हो सके, तो अन्य उम्मीदवारों को नियुक्त किया जा सकता है तथापि, प्रबंधक वर्ग को निरीक्षण अधिकारी को इस बात से समाधान कराना होगा कि नियुक्तियों का विहित कोटा पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार प्राप्त करने के लिये सभी सम्भव प्रयत्न किए गए थे.

(ग) इस संबंध में समय-समय पर दिये गये शासन के अनुदेशों का पालन सहायता प्राप्त संस्थाओं में किया जायेगा.

15. जब कभी कोई सहायता प्राप्त संस्था इन नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों तथा मानकों के संबंध में उसके कार्य सम्पादन पर अनुदान स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी का समाधान न कर पाय, तो

वह उक्त संस्था के प्रबंधक वर्ग को एक औपचारिक 'चेतावनी' देगा और उन दोषों को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सुधार के लिए कह सकेगा यदि संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर संतोषजनक कार्यवाही न करे तो अनुदान मंजूर करने वाला प्राधिकारी ऐसे अनुदान में कटौती या उसकी वापसी का आदेश दे सकेगा.

16. आवेदन करने की प्रक्रिया.—सहायता अनुदान प्राप्त करने की इच्छुक संस्था का प्रबंधक वर्ग पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरण तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक आवेदन-पत्र विहित फार्मों पर निर्दिष्ट एक से पांच में भरकर संबंधित मंजूरी प्राधिकारी को (उचित माध्यम से यदि कोई हो) 1 मई तक भेज देगा.

17. प्राधिकारी मामले की समीक्षा के दौरान कोई भी प्रतिरिक्त जानकारी मांगवा सकेगा.—प्राधिकारी यदि वह अनुदान मंजूर करने के लिए सक्षम हो तो आवेदन के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा या उसकी समीक्षा के बाद तथा अपनी निश्चित सिफारिशों के साथ उसे तत्सम्बन्धी समिति के समक्ष रखेगा जिसमें राज्य अकादमियों एवं परिषदों के सचिव सदस्य रहेंगे.

ऐसे सभी मामले जिनमें शासन की मंजूरी अपेक्षित हो, समीक्षा के बाद तथा सिफारिशों के साथ प्रतिवर्ष 1 जून तक संस्कृति विभाग में पहुंच जाना चाहिए. मंजूरी प्राधिकारी अनुदान में कटौती करने के आदेश दे सकेगा, जिसके कारण लेखबद्ध किये जायेंगे.

18. छूट देने की शक्ति.—राज्य शासन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी भी संस्था को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा और उन्हें तदर्थ या किसी भी अन्य विशेष आधार पर अनुदान दे सकेगा.

19. अपील.—प्रबंधक वर्ग को अनुदान मंजूर करने या उसमें परिवर्तन करने के आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा. तथापि, अपील आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर राज्य शासन को की जाना चाहिए.

भाग तीन—अनुरक्षण अनुदान

20. अनुरक्षण अनुदान.—(क) अनुरक्षण अनुदान निम्नलिखित संस्थाओं के संचालन तथा अनुरक्षण के लिए दिया जानेवाला आवर्ती अनुदान है.—

(एक) प्रशिक्षण संस्था

(दो) प्रदर्शनकारी कला संस्था

(त्र) यह वार्षिक आधार पर मंजूर किया जायेगा.

21. अनुरक्षण अनुदान का निर्धारण निम्नलिखित रीतियों से किया जावेगा.

(एक) एक प्रशिक्षण संस्थाओं के मामले में अनुरक्षण अनुदान की राशि सकल व्यय के 90 प्रतिशत या पूर्ण शुद्ध घाटे, जो भी कम हो, के बराबर पांच वर्षों में 90 प्रतिशत भागामी पांच वर्षों तक 80 प्रतिशत तथा इसके उपरान्त 75 प्रतिशत की दर से यह शुद्ध घाटा (जो भी कम हो), के आधार पर दिया जावेगा.

(दो) प्रशिक्षण संस्थाओं के अन्तर्गत कार्यरत प्रदर्शनकारी कलाकार दल (रेपटरी) के लिये वार्षिक अनुदान धनुदान की राशि सकल व्यय के 75 प्रतिशत तथा पूर्ण गूड घाटे, इनमें से जो भी कम हो, के बराबर होगी.

(तीन) अन्य संस्थाओं के लिये वार्षिक अनुदान धनुदान की राशि सकल स्वीकार्य व्यय के 75 प्रतिशत या पूर्ण गूड घाटे इनमें जो भी कम हो, के बराबर होगी.

22. (1) उपर्युक्त नियम 21 (एक) के अधीन निश्चित किए गए धनुदान के प्रचलन की प्रवृद्धि में सम्यक राशि राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किसी भी नये पद के लिये उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा तक प्रतिरिक्त धनुदान नियम 22 (एक) के अनुसार स्वीकार्य होगा.

(2) इस नियम के अधीन प्रतिरिक्त धनुदान उस तारीख से स्वीकार्य होगा, जिस तारीख को पद वास्तव में भरा गया हो.

23. पञ्चासकीय सांस्कृतिक संस्थाओं के कर्मचारियों को मंजूर किए गए वेतन, पुरीक्षण महंगाई भत्ता और प्रतिरिक्त महंगाई भत्ते पर धनुमानित व्यय के लिये प्रतिरिक्त धनुदान उपर्युक्त नियम में बताई गई सीमा तक और बताई गई रीति से प्रत्येक तारीख उनके वेतन की तारीख से स्वीकार्य होगा, बशर्ते कर्मचारियों को दिए गए महंगाई भत्ता/प्रतिरिक्त महंगाई भत्ता का व्यय शासन द्वारा पूर्व धनुमानित हो.

24. अनुदान धनुदान का भुगतान दो धर्त-वार्षिक किस्तों में किया जा सकता है. पहली किस्त प्रतिवर्ष 31 अगस्त तक दे दी जायेगी. यह किस्त नियम 20 और 21 के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष के दिने मंजूर धनुदान और पूर्ववर्ती वर्ष में नियम 22 और 23 के अधीन मंजूर प्रतिरिक्त धनुदानों, यदि कोई हों, के 50 प्रतिशत के बराबर होगी. दूसरी किस्त प्रतिवर्ष 28, 29 फरवरी तक दे दी जायेगी और उस वर्ष के लिये स्वीकार्य धनुदान में से भुगतान को बा बूकी रहती किस्त की रकम काट लेने और ऐसी धनु कटौतियां कर लेने के बाद, जो पूर्ववर्ती वर्षों में धनुदान का अधिक भुगतान, यदि कोई हो, के कारण दिने जाने के कारण आवश्यक समझी गई हो, निकलने वाली रकम के बराबर होगी.

25. (एक) ऐसी सांस्कृतिक संस्था के, जिसे शासकीय धनुदान प्राप्त हो रहा हो, संस्था प्रमुख सहित शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनमान शासकीय शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की तत्त्वानी श्रेणियों के लिये मंजूर वेतनमानों के बराबर होंगे.

(दो) शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति/सहताएं वेतन का संदाय तथा सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश पञ्चासकीय सांस्कृतिक संस्था अधिनियम, 19 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होगी.

26. (एक) धनुदान पाते वाली कोई भी संस्था, राज्य शासन के पूर्व धनुमानन के बिना नए कार्य-क्रम आरंभ नहीं करेगी.

(दो) राज्य शासन के धनुमानन के बिना किए गए कार्यक्रम/योजनाओं के संबंध में धनुदान के लिये कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा.

27. धनुदान के निर्धारण के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित को धाय माना जायेगा :-

- (1) प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये शिक्षा शुल्क
- (2) जमा रकमों पर व्याज
- (3) शार्वती व्यय के लिये भारत सरकार से धनुदान
- (4) शार्वती व्यय के लिये स्थानीय निकायों से धनुदान
- (5) शार्वती व्यय के लिये विश्वविद्यालय धनुदान धायीय से धनुदान
- (6) किसी भी शासकीय या अर्ध शासकीय निकायों से शार्वती व्यय के लिये दान या अनुदान धनुदान.

28. (एक) अनुदान धनुदान की संगणना के प्रयोजन के लिये सांस्कृतिक संस्थाओं को निम्नलिखित व्यय स्वीकार्य होगा :-

- (क) उनके प्रशिक्षकों तथा कर्मचारियों प्रदर्शन कलाकार दल में नियुक्त कलाकारों के लिये धनुमानित दरों पर वेतन भत्ते तथा शार्विय निधि धनुदान
- (ख) उनके विजिटिंग प्रोफेसर्स के लिये पारिश्रमिक याता यता और ईतिक भत्ता
- (ग) उनके प्रदर्शनकारी कलाकार दल (रेपटरी) में प्रतिरिक्त कलाकारों के लिये वेतन भत्ते तथा धनुमानित दर पर शार्विय निधि धनुदान

(दो) अनुदान धनुदान की संगणना के प्रयोजन के लिये :-

(1) कला संस्थाओं तथा (2) अन्य संस्थाओं को निम्न लिखित व्यय स्वीकार्य होगा :-

- (क) किसी भी धनुमानित प्रदर्शन आयोजन के लिये किया गया स्वीकृत व्यय
- (ख) किसी भी धनुमानित कर्मशास्त्र के लिये किया गया स्वीकृत व्यय
- (ग) पारिश्रमिक व्यय, जिसमें निम्नलिखित सब शामिल होंगी :-

- (1) 500 रुपये तक की पुस्तकों का क्रय
- (2) यदि संस्था का स्वयं का भवन न हो, तो कनेक्टर द्वारा प्रमाणित भवन का यकितवृक्त किराया
- (3) यदि संस्था का स्वयं का भवन हो, तो उस संस्थाओं के लिये यदि भवन की लागत दो लाख रुपये से कम हो, तो भवन के धनुदान के लिये 4000 रुपये और यदि भवन की लागत तीन लाख से अधिक हो तो 7,500 रुपये
- (4) सम्बद्धकरण शुल्क
- (5) विपुल शुल्क

- (6) टेलीफोन व्यय
- (7) डाक टिकट और तार
- (8) फर्नीचर की मरम्मत
- (9) लेखन सामग्री तथा मुद्रण
- (10) कार्यालयीन व्यय
- (11) लेखा परोक्षा फीस
- (12) समाचार पत्र के लिए 600 रु. तक सीमित
- (13) उक्त नियम के उद्देश्य के लिये संस्कृति विभाग द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित अन्य कोई आयटम.

(घ) केवल सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए निम्नलिखित मरदों पर प्रतिरिक्ति आकस्मिक व्यय स्वीकार्य होगा :—

- (1) पत्र-पत्रिकाओं के लिये 1200 रुपये तक सीमित.
- (2) कर्मशालाओं पर आवर्ती व्य.
- (3) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वर्दी पर व्य.

भाग चार—उपकरण अनुदान.

29. उपकरण अनुदान अभावर्ती अनुदान है जो किसी मान्यता प्राप्त कला/सांस्कृतिक संस्था को उपकरण और फर्नीचर के प्रयोजन के लिए दिया जा सकेगा. जिसमें पुस्तकें, नक्शे, चार्ट, दृश्य-श्रव्य उपकरण, विद्युत उपकरण तथा ऐसी वस्तुएं शामिल होंगी, जो संस्कृति विभाग द्वारा आवश्यक समझी जाए.

30. 1. उपकरण अनुदान मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था के प्रबन्धक वर्ग को नियम 39 में उल्लेखित प्रयोजन के लिये दिया जा सकेगा.

2. उपकरण अनुदान की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी :—

(क) पुस्तकें, विद्युत् उपकरण, दृश्य श्रव्य उपकरण, ध्वनि उपकरण, संगीत बाजा, कैमरा, रेकार्ड प्लेयर तथा कर्मशाला के अन्य उपकरण पर वास्तविक व्यय का 90 प्रतिशत.

31. उपकरण के लिए अनुदान की मंजूरी शासन द्वारा दी जायेगी और यह अनुदान इस प्रमाण-पत्र के साथ कि व्यय की मरदों का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर दिया गया है, बाऊचरों के प्रस्तुत किये जाने पर ही देय होगा.

भाग पांच—शिविर अथवा आयोजन अनुदान.

32. शिविर अथवा आयोजन अनुदान मान्यता प्राप्त कला संस्था अथवा अन्य संस्थाओं को निम्नलिखित प्रयोजन के लिए दिया जा सकेगा :—

- (एक) प्रशिक्षण से जुड़े किसी शिविर अथवा आयोजन के लिए
- (दो) किसी विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत शिविर.

33. शिविर तथा आयोजन अनुदान की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी :—

(क) संस्थाओं के लिए अनुदान की राशि सकल व्यय के 90 प्रतिशत या पूर्ण शुद्ध घाटे, इनमें जो भी कम हो, के बराबर होगी.

(ख) अन्य संस्थाओं के लिए अनुदान की राशि सकल व्यय के 75 प्रतिशत या पूर्ण शुद्ध घाटे, इनमें जो भी कम हो, के बराबर होगी.

34. यदि इन नियमों के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उपस्थित होगी तो राज्य शासन उसके निराकरण हेतु उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशोक बाजपेयी, सचिव.

परिशिष्ट एक
(नियम 20)

सहायता अनुदान के लिए आवेदन पत्र का फॉर्म.

संस्था का नाम
संस्था की श्रेणी
शास्त्री निकाय

कर्मचारी का नाम	कर्मचारी		आवेदन की तारीख से पहले के छह महीनों में औसत भर्ती आवेदन की तारीख से पहले के छह महीनों की औसत दैनिक उपस्थिति प्रत्येक कक्षा में फीस की दर
	ग्रहंताएं	वेतन	
			कक्षा रु. प.
			योग

(पिछले वर्ष के दौरान वार्षिक आय तथा व्यय)

आय	व्यय
..... से तक
1. फीस, जिसमें भोजन व्यय शामिल नहीं है.	1. अध्येक्षक वर्ग रुपये वैसे.
2. प्रत्यय निधि	2. लिपिक तथा भृत्य
3. भंडारण, दान तथा अनुदान.	3. किराया तथा कर
(विस्तृत ग्यारे संलग्न कीजिए.)	4. आकस्मिकता व्यय
योग	योग

मनोनीत प्रतिनिधि

आशाही प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमानित आय तथा व्यय

प्राप्तियां	रकम	व्यय	रकम
रूपये पैसे		रूपये पैसे	
1. प्रक्षय निधि से आय		निम्नलिखित पर व्यय.	
2. संभ्रदान तथा दान		1. अध्यापक वर्ग	
3. फीस से अनुमानित		2. लिपिक तथा मृत्य	
		3. किराया	
प्राप्तियां—		4. कर	
(क) नियत फीस		5. प्राकस्मिकता व्यय.	
(ख) विशेष			
विविध प्राप्तियां		योग ..	
योग ..			
		योग ..	

2. प्रक्षय निधि से आय	2. लिपिक तथा मृत्य
3. संभ्रदान तथा दान	3. किराया, कर तथा बीमा
4. अन्य स्रोत (उल्लेख किया जाय उदा. मिशन, रेलवे प्रयवा नगरपालिका अनुदान.)	4. प्राकस्मिकता व्यय (उपयुक्त मदों के व्ययों विवरण में संलग्न किये जाय.)
योग ..	योग ..
ख. सहायता अनुदान.	
क. वार्षिक रखरखाव	5. भवन
ख. भवन	6. फर्नीचर तथा उपकरण.
ग. विज्ञाप	7. पुस्तकें
घ. अन्य स्रोत	8. अन्य स्रोत
(निर्दिष्ट किये जाएं)	(निर्दिष्ट किये जाएं.)
योग ..	योग ..
	कुल योग ..

संस्था के प्रबन्धक वर्ग की ओर से मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि अधिनियम, 1987 में दी गई मान्यता और संशोधित अनुदान की शर्तों तथा सहायता अनुदान नियमों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है और किया जाता रहेगा और मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि संस्था की वर्तमान प्रक्षय निधि, न्याय सेवा, उसकी स्थापना, गति-विधियों तथा रजिस्ट्रों का निरीक्षण किया जाय तथा ऐसे परिवर्तन प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ जो संरक्षित विभाग के अधिकारियों द्वारा माये जाएं.

स्थान हस्ताक्षर
मनोनीत प्रतिनिधि.

प्रमाण-पत्र
प्रबन्धक वर्ग की ओर से मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है और यह कि व्यय किया गया है तथा मद 1 से 4 के अधीन व्यय का कोई भी भाग उन बस्तुओं से सम्बन्धित नहीं है जिनके लिए प्रबन्धक अनुदान मंजूर किया जा सकता है.

स्थान मनोनीत प्रतिनिधि.
दिनांक

परिशिष्ट 2
(नियम 21)

वर्ष 19..... का वित्तीय विवरण

प्राप्तियां	व्यय
रूपये पैसे	रूपये पैसे
निम्नलिखित पर व्यय.	
1. शिक्षण शुल्क से वास्तविक आय.	1. अध्यापक वर्ग.

परिशिष्ट तीन

(नियम 20)

भवन अनुदान के लिये आवेदन पत्र का फार्म
 संस्था का नाम
 शासी निकाय/प्रबन्धक वर्ग
 अनुदान का उद्देश्य
 स्रोत तथा प्रस्तावित वास्तविक व्यय की राशि

स्रोत	राशि	संस्था द्वारा पहले लिया गया भवन अनुदान
1. प्रथम निधि	वर्ग, राशि, मंजूरी आदेश का क्रमांक तथा तारीख	
2. अनुदान		
3. अन्य स्रोत अनुदान जिसके लिये सब आवेदन किया जा रहा है		

योग

प्रमाणित किया जाता है कि (एक) स्पष्ट का हक ठीक है तथा प्रबन्धक वर्ग परिशिष्ट पांच के अनुसार न्याय वितेख निष्पादित करने के लिये तैयार है।

(दो) शासी निकाय/प्रबन्धक वर्ग उपर्युक्त व्यय के भाग की पूर्ति करने में सक्षम है जिसके लिये प्रबन्ध उत्तरदायी है।

(तीन) इसके साथ नक्शे, अनुमान तथा विशिष्ट विवरण भेजे जा रहे हैं।

स्थान

तारीख मनोनीत प्रतिनिधि

परिशिष्ट चार

(नियम 20)

उपकरण अनुदान के लिये आवेदन पत्र का फार्म

संस्था का नाम
 श्रेणी
 अनुदान की राशि, जिसके लिये

आवेदन किया जा रहा है
 प्रस्तावित उपकरण की कुल लागत
 पहले लिये गये किसी विशेष
 अनुदान की राशि तथा तारीख

सम्पत्ति

मनोनीत प्रतिनिधि

स्थान

तारीख

निरीक्षण अधिकारी का पृष्ठांकन

टीप.—इस आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक उपकरण की लागत तथा वस्तुओं की संख्या दर्शाते हुए एक विस्तृत सूची संलग्न की जानी चाहिये।

परिशिष्ट पांच

अनुबन्ध प्रथम

यह अनुबन्ध आज तारीख माह 19...

को एक पक्षकार स्थित संस्था के प्रबन्धक

वर्ग और दूसरे पक्षकार संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश, को

माफत कार्य कर रहे मध्यप्रदेश के राज्यपाल के बीच किया जाता है।

जुंकि में स्थित

मकान तथा परिसरों के लिये, जिसके उत्तर में भादि है।

(यहां मकान तथा परिसर की पहिचान के लिये पूरा विवरण दिया

जाए) जिनका उपयोग उक्त संस्था के लिये किया जाएगा.....

के शासकीय सहायता अनुदान के लिये आवेदन किया है और

संस्कृति विभाग की माफत कार्य कर रहे मध्यप्रदेश के उक्त राज्यपाल

ने यह रकम शासकीय सहायता अनुदान नियमों तथा शर्तों के अधीन

देना स्वीकार कर लिया है।

अतएव अब यह अनुबन्ध इस बात का साक्षी है कि उक्त प्रयोजन

के लिये उक्त द्वारा समुचित रूप से प्राप्त

की राशि के प्रतिफल स्वरूप उक्त

..... स्वयं को निम्नानुसार आवंट करता है:—

(क) कि उक्त अनुदान इस समय लागू शासकीय सहायता अनुदान

नियमों की या इसके बाद इनके प्रतिस्थापन या संशोधन

के बाद लागू किए जाने वाले नियमों की सभी शर्तों के

अधीन दिया गया है और स्वीकृत किया गया है।

(ब) यदि इसके बाद किसी भी समय उपर्युक्त मकान या परिसरों का इस प्रयोजन को छोड़, जिसके लिये अनुदान मंजूर किया गया है किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग किया जाता है या यदि उक्त संस्था शासन द्वारा निरीक्षण के लिये सुलभ न रहे या सज्जतापूर्वक न चलाई जा सके या यदि राजनैतिक मामलों में संस्था, का संचालन, शासन द्वारा ऐसा समझा जाए कि वह संस्था में पढ़ने वाले छात्रों के हितों के प्रतिकूल हो, तो मध्यप्रदेश के राज्यपाल को किसी अन्य इच्छुक खरीददार की तुलना में उक्त मकान तथा परिसरों को, ऐसे मूल्य पर जो इसके बाद यथा उपबंधित मध्यस्थ द्वारा निश्चित किया जाए, खरीदने का पूरा अधिकारी होगा किन्तु उसमें से दिए गए अनुदान का ऐसा भाग ऐसे अनुपात में काट लिया जाएगा जो उस अनुपात के बराबर होगा, जो ऐसे मूल्यांकन का उक्त मकान या परिसर की मूल लागत हो. इसमें से एक मध्यस्थ शासन द्वारा और दूसरा उक्त..... द्वारा नियुक्त किया जाएगा और यदि उनमें सहमति न हो तो वे एक अधि-निर्णायक नियुक्त कर सकेंगे और मूल्य निर्धारण के संबंध में उनका या अधिनिर्णायक का विनिश्चय अन्तिम और दोनों पक्षकारों पर बंधनकारी होगा.

और आगे यह कटार किया जाता है कि..... रु. की उक्त राशि की प्रतिभूति के रूप में उक्त मकान और परिसर मध्यप्रदेश के उक्त राज्यपाल के पास साधारण बंधक के रूप में बंधक रहेंगे और यदि मध्यप्रदेश के उक्त राज्यपाल उक्त खण्ड (ख) के अनुसरण में उक्त मकान तथा परिसरों को खरीदने का निर्णय न ले तो उन्हें इसमें निर्दिष्ट किसी बात के होने पर भी उक्त..... या उस समय उसके पद या हक के उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि द्वारा मध्यप्रदेश शासन द्वारा उक्त..... रु. की राशि मांग करने पर अदा..

न करने की स्थिति में इसके द्वारा बंधक किये गये उक्त मकान और परिसरों को बिकवाने का और उससे प्राप्त रकम का उपयोग यथा संभव संपत्ति अधिनियम, 1882 के उपबंधों के अनुसार उक्त..... रु. की रकम के भुगतान के लिये उपयोग करने का अधिकार होगा.

हस्ताक्षर

इसके साक्ष्य में.....

गवाह.....

1.....

2.....

टिप्पणी.—यह दस्तावेज कम से कम दो साक्षियों द्वारा अभि-प्रमाणित किया जाना चाहिये और उन्हें यह देखना चाहिये कि सभी निष्पादकों ने दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर किये हैं. प्रत्येक साक्षी को अपने अभिप्रमाणित के बाद यह टीप लिखने के लिये कहा जाना चाहिये कि इस पर..... ने मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं और मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ.

पंजीयन अधिकारियों के लिये टीप.—शासन से प्राप्त भवन अनु-दानों के प्रतिकूल में सहायता प्राप्त संस्थाओं के प्रबंधकों द्वारा निष्पादित बंधक पत्र के रूप में सभी अनुबंध पत्र पुराने मध्यप्रदेश शासन के पृथक प्रागम तथा पंजीयन विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्रमशः 822-4701-भाठ, तारीख 16 अक्टूबर 1941 तथा 258/60 नो. तारीख 20 अप्रैल 1943 के अधीन मुद्रांक मुक्त तथा पंजीयक फीस से मुक्त हैं.